कार्यालय मुख्य अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
रायपुर परिक्षेत्र रायपुर

क्रमांक | 80 /निविदा प्रकोष्ठ/मु.अ./लो.स्वा.यां.वि/रायपुर दिनांक 09/08/2020

जल जीवन मिशन, छत्तीसगढ़ में आवश्यकतानुसार कार्यालयीन कार्य हेतु लगभग राज्य स्तरीय–16 एवं जिला स्तरीय 448 कर्मचारियों की सेवाएं उपलब्ध कराए जाने बाबत् पंजीकृत प्लेसमेंट एजेंसी से दरें प्रस्तुत करने के संबंध में सीलबंद लिफाफे पर निविदाएं आमंत्रित की जाती है।

इच्छुक प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा उपरोक्त कार्य के प्रस्ताव हेतु लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की वेबसाईट http://phed.cg.gov.in पर दिनांक 03.08.2021 समय 11:00 बजे पूर्वान्ह से निर्धारित प्रपत्र एवं निविदा की अन्य शर्ते तथा निविदा संबंधी विस्तृत जानकारी का अवलोकन किया जा सकता है। निविदा हेतु रूपये 5000/– की डीडी मिशन संचालक, जल जीवन मिशन, छत्तीसगढ़ के नाम से निविदा प्रपत्र के साथ जमा करना होगा। इस निविदा प्रपत्र को नियम एवं शर्तो के तहत पूर्ण रूप से भरकर आवश्यक दस्तावेजों सहित निम्नानुसार दिनांक को प्राप्त/जमा किया जा सकता है।

निविदा प्रपत्र का शुल्क (केवल डी.डी. द्वारा)	रूपये 5000.00 (वापसी योग्य नहीं है)
प्री बिड बैठक की तिथि (कार्यालय मिशन संचालक, जल जीवन मिशन, नीर भवन, रायपुर छ0ग0।)	10.08.2021
निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	16.08.2021 अपरान्ह 5.00 बजे तक
निविदा प्रस्ताव खोलने की तिथि	17.08.2021 अपरान्ह 3.00 बजे

मुख्य अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
रायपुर परिक्षेत्र रायपुर

कार्यालय मिशन संचालक
जल जीवन मिशन
नीर भवन–सिविल लाईन्स, छत्तीसगढ़, रायपुर

Email:-director-jjm@cg.gov.in

हर घर जल
जल जीवन मिशन

क्रमांक / / स्था.शा. / ज.जी.मि. / 2021 रायपुर, दिनांक

मिशन संचालक, जल जीवन मिशन, छत्तीसगढ़ में आवश्यकतानुसार कार्यालयीन कार्य हेतु लगभग राज्य स्तरीय–16 एवं जिला स्तरीय 448 कर्मचारियों की सेवाएं उपलब्ध कराए जाने बाबत् पंजीकृत प्लेसमेंट एजेंसी से दरें प्रस्तुत करने के संबंध में सीलबंद लिफाफे पर निविदाएं आमंत्रित की जाती है।

इच्छुक प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा उपरोक्त कार्य के प्रस्ताव हेतु लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की वेबसाईट http://phed.cg.gov.in पर निर्धारित प्रपत्र एवं निविदा की अन्य शर्ते तथा निविदा संबंधी विस्तृत जानकारी का अवलोकन किया जा सकता है। निविदा हेतु रूपये 5000/– की डीडी मिशन संचालक, जल जीवन मिशन, छत्तीसगढ़ के नाम से निविदा प्रपत्र के साथ जमा करना होगा। इस निविदा प्रपत्र को नियम एवं शर्तो के तहत पूर्ण रूप से भरकर आवश्यक दस्तावेजों सहित निम्नानुसार दिनांक को प्राप्त/जमा किया जा सकता है।

निविदा प्रपत्र का शुल्क (केवल डी.डी. द्वारा)	रूपये 5000.00 (वापसी योग्य नहीं है)
प्री बिड बैठक की तिथि (कार्यालय मिशन संचालक, जल जीवन मिशन, नीर भवन, रायपुर छ0ग0।)	10.08.2021
निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	16.08.2021 अपरान्ह 5.00 बजे तक
निविदा प्रस्ताव खोलने की तिथि	17.08.2021 अपरान्ह 3.00 बजे

मिशन संचालक
जल जीवन मिशन,
नीरभवन, सिविल लाईन्स,
रायपुर छ.ग.

//निविदा की शर्ते//

1. अमानत राशि

1.1 अमानत राशि रूपये 20,00,000/– (अक्षरी रूपये बीस लाख) की होगी। (राशि केवल डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा किया जाय।)

1.2 डिमांड ड्राफ्ट मिशन संचालक, जल जीवन मिशन, नीर भवन, रायपुर के पक्ष में देय होगा।

1.3 अमानत राशि पर किसी प्रकार का ब्याज नहीं दिया जावेगा।

1.4 निविदाकार द्वारा निविदा के साथ अमानत राशि जमा नहीं किये जाने पर प्राप्त निविदा निरस्त मानी जावेगी।

1.5 सफल निविदाकार की अमानत राशि धरोहर के रूप में जमा रखी जावेगी और अनुबंध अवधि के संतोषप्रद ढंग से समाप्ति के बाद वापस की जावेगी। उक्त राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जावेगा। अन्य निविदाकार की अमानत राशि, सफल निविदाकार द्वारा अनुबंध निष्पादित करने के उपरांत वापस कर दी जावेगी।

1.6 सफल निविदाकार द्वारा 15 दिवस के भीतर मिशन संचालक, जल जीवन मिशन से अनुबंध नहीं करने एवं भविष्य में संतोषप्रद कार्य संपादित नहीं करने पर धरोहर के रूप जमा राशि जब्त की जावेगी।

1.7 निविदा खोले जाने की प्रक्रिया के दौरान निविदाकार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में स्पष्टता नहीं होने/संदेह होने की स्थिति में निविदा समिति द्वारा मूल दस्तावेज/सहायक दस्तावेज की मांग की जा सकेगी। निविदाकार द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना बंधन कारी होगा।

1.8. वित्तीय निविदा में सेवा शुल्क दर 5 प्रतिशत से कम स्वीकार नहीं की जावेगी/यदि निविदाकार द्वारा वित्तीय निविदा में सेवा शुल्क 5 प्रतिशत से कम प्रस्तुत किया जाता है तो निविदा अमान्य घोषित कर दिया जावेगा।

1.9 तकनीकि एवं वित्तीय लिफाफे अलग अलग दिये जायें।

प्लेसमेंट एजेन्सी की पात्रता हेतु न्यूनतम मापदण्ड जो निम्नानुसार होगा –

2.1	संस्था/फर्म का प्रकार (पंजीकृत संस्थान, पंजीकृत सांझेदारी फर्म, एकल स्वामित्व) का प्रमाण पत्र की स्व. प्रमाणित छायाप्रति
2.2.	संस्था/फर्म की संविदा श्रमिक अधिनियम 1970 के अंतर्गत कम से कम 100 कर्मचारियों/श्रमिकों का अनुज्ञप्ति प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित छायाप्रति
2.3	संस्था/फर्म का पैन कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति
2.4	संस्था/फर्म का जीएसटी (छत्तीसगढ़ राज्य में) की स्वप्रमाणित छायाप्रति
2.5	संस्था/फर्म का ईपीएफ प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति एवं संस्था/फर्म द्वारा पीएफ का चालान पिछले एक वर्ष का संलग्न करें
2.6	संस्था/फर्म का ईएसआई क्रमांक प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति एवं संस्था/फर्म द्वारा ईएसआईसी का चालान पिछले एक वर्ष का संलग्न करें
2.7	संस्था/फर्म द्वारा राज्य के शासकीय/अर्द्धशासकीय/निगम/मंडलों के कार्यालयों में विगत 05 वर्शो में समान प्रकृति के कार्य में मानव संसाधन उपलब्ध कराने का कम से कम 5 कार्य में समान मानव संसाधन प्रति कार्यालय का अनुभव (अनुभव प्रमाण पत्र व कार्य आदेश संलग्न करें)
2.8	संस्था/फर्म का पिछले 3 वित्तीय वर्षो में औसत रूपये 04 करोड़ का मानव संसाधन प्रदाय करने का वार्षिक टर्नओवर का सीए द्वारा प्रमाणित मूलप्रति संलग्न करें। व साथ ही सी.ए. द्वारा अंकेक्षित बैलेन्सशीट पिछले 03 वर्षो की संलग्न करना अनिवार्य होगा।
2.9	फर्म/संस्था का छत्तीसगढ़ दुकान स्थापना अधिनियम 1958 का जारी अनुज्ञप्ति प्रमाण पत्र

2.10	संस्था/फर्म का एक कार्यादेश के अंतर्गत छ0ग0 राज्य में कम से कम दो जिलों में मानव संसाधन उपलब्ध कराये जाने का अनुभव हो। कार्यादेश की प्रति संलग्न करें
2.11	संस्था/फर्म द्वारा पीएफ का चालान पिछले एक वर्ष का संलग्न करें
2.12	संस्था/फर्म द्वारा ईएसआईसी का चालान पिछले एक वर्ष का संलग्न करें
2.13	मानव संसाधन सेवा प्रदाता संस्थाएं/फर्म ही भाग लेने के पात्र है। केवल सेवा एजेन्सी व सुरक्षा एजेंसी निविदा में भाग नहीं ले सकते हैं।
2.14	किसी संस्थान/फर्म द्वारा एक से अधिक निविदा प्रपत्र जमा करता है तो व अपात्र होगा।

2. तकनीकि मापदण्ड :– (अनुसूची एक)

नीचे दर्शित सारणी अनुसार निविदाकारों द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का मूल्यांकन किया जावेगाः–

<table>
<tr><th>क्रमांक</th><th>विवरण</th><th>निम्न दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य</th><th>अधिकतम अंक</th></tr>
<tr><td>1</td><td>फर्म/संस्था का औसत टर्नओवर विगत 3 वर्षो में<table><tr><td>5 करोड़ तक</td><td>05 अंक</td></tr><tr><td>5 करोड़ से अधिक– 10 करोड़</td><td>06 अंक</td></tr><tr><td>10 करोड़ से अधिक–15 करोड़</td><td>07 अंक</td></tr><tr><td>15 करोड़ से अधिक–20 करोड़</td><td>08 अंक</td></tr><tr><td>20 करोड़ से अधिक–25 करोड़</td><td>09 अंक</td></tr><tr><td>25 से ऊपर</td><td>10 अंक</td></tr></table></td><td>सी.ए. बैलेंस शीट की प्रमाणित प्रति संलग्न करें</td><td>10 अंक</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>फर्म / संस्था का छ0ग0 प्रदेश में लेबर लायसेंस<table><tr><td>250 कर्मचारी तक</td><td>05 अंक</td></tr><tr><td>251–500 तक</td><td>07 अंक</td></tr><tr><td>501 से ऊपर</td><td>10 अंक</td></tr></table></td><td>लेबर लायसेंस की छायाप्रति</td><td>10 अंक</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>संस्था/फर्म के कर्मचारियों का ईपीएफ का डिटेल चालान छत्तीसगढ़ प्रदेश में<table><tr><td>500 कर्मचारी तक</td><td>05 अंक</td></tr><tr><td>500–1000 तक</td><td>07 अंक</td></tr><tr><td>1000–2000 तक</td><td>08 अंक</td></tr><tr><td>2001 से ऊपर</td><td>10 अंक</td></tr></table></td><td>सत्यापित प्रमाण दस्तावेज संलग्न करें</td><td>10 अंक</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>संस्था/फर्म का एक कार्यादेश के अंतर्गत छ0ग0 के विभिन्न जिले में कार्यालय/विभाग का अनुभव<table><tr><td>02 विभाग/जिले</td><td>05 अंक</td></tr><tr><td>03 से 05 विभाग/जिले</td><td>07 अंक</td></tr><tr><td>06 से 08 विभाग/जिले</td><td>10 अंक</td></tr><tr><td>09 विभागों/जिले या उससे अधिक</td><td>10 अंक</td></tr></table></td><td>पूर्णता का प्रमाण पत्र</td><td>10 अंक</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>5.</td><td>संस्था/फर्म का छ0ग0 राज्य के अंतर्गत शासकीय /अर्द्धशासकीय/निगम मंडल को सफलतापूर्वक मानव संसाधन उपलब्ध कराये जाने कार्य का अनुभव<table><tr><td>500–1000 कर्मचारी तक</td><td>10 अंक</td></tr><tr><td>1001–2000</td><td>15 अंक</td></tr><tr><td>2001–3000</td><td>20 अंक</td></tr><tr><td>3001 से ऊपर</td><td>25 अंक</td></tr></table></td><td>कार्यादेश अथवा अनुबंध की छायाप्रति</td><td>25 अंक</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>छ0ग0 प्रदेश में शासकीय/अर्द्धशासकीय/निगम /मंडल में समान प्रकृति के कार्य में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव आवश्यक है।<table><tr><td>05 वर्ष तक</td><td>10 अंक</td></tr><tr><td>05 वर्ष से अधिक 10 वर्ष तक</td><td>15 अंक</td></tr><tr><td>10 वर्ष से अधिक 15 वर्ष तक</td><td>20 अंक</td></tr></table></td><td>कार्यादेश तथा अनुभव प्रमाण पत्र की छायाप्रति</td><td>20 अंक</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>संस्था/फर्म द्वारा राज्य के शासकीय/अर्द्धशासकीय /निगम/मंडल में कार्यालयों में समान प्रकृति के कार्य में मानव संसाधन उपलब्ध कराने का अनुभव<table><tr><td>5 कार्यालयों तक</td><td>08 अंक</td></tr><tr><td>5 से अधिक, 10 कार्यालयों तक</td><td>10 अंक</td></tr><tr><td>10 से अधिक, 15 कार्यालयों तक</td><td>15 अंक</td></tr></table></td><td>कार्यादेश तथा अनुभव प्रमाण पत्र की छायाप्रति</td><td>15</td></tr>
</table>

3.1 तकनीकी निविदा मूल्यांकन में न्यूनतम 40 अंक पाने वाले निविदाकार का ही वित्तीय निविदा खोले जायेंगे तथा अंतिम परिणाम हेतु गणना में शामिल किय जायेंगे, यदि निविदाकार में से तीसरे स्थान हेतु समान अंक प्राप्त हो तक की स्थिति में समान अंक पाने वाले सभी निविदाकार के वित्तीय निविदा खोले जावेंगे।

3.2 सफल निविदाकार हेतु कुल प्राप्तांक (100 अंक) की गणना में तकनीकी निविदा में कुल प्राप्तांक का 70 प्रतिशत तथा वित्तीय निविदा में प्राप्तांक का 30 प्रतिशत weightage के आधार पर गणना की जावेगी।

3.3 वित्तीय निविदा :– वित्तीय निविदा में निविदाकारों को 30 प्रतिशत weightage के आधार पर गणना की जावेगी।

इस तरह तकनीकी मूल्यांकन से 70 प्रतिशत weightage एवं वित्तीय मूल्यांकन से प्राप्त अंक का 30 प्रतिशत (weightage) दिया जावेगा। दोनों का योग 100 प्रतिशत अंतिम (weightage) होगा।

निविदाकार जो वित्तीय निविदा में न्यूनतम दर (L1) प्रस्तुत करेगा उसको वित्तीय मूल्यांकन में पूरे 30 अंक प्राप्त होंगे। (निम्नांकित उदाहरण से गणना की पद्धति को समझा जा सकता है)

उदाहरण :– (a) 100 अंक के तकनीकी निविदा पर कोई निविदाकार को 80 अंक प्राप्त होता है तो उसका तकनीकी मूल्यांकन होगा = 56 (80 x 70%)

3.3.1 यदि (a) में दर्शित निविदाकार (L1) निविदाकार है और यदि वह वित्तीय निविदा में 5 प्रतिशत दर प्रस्तुत करता है तो उसको प्राप्त कुल अंक = 86 होगा (56 तकनीकी मूल्यांकन + 30 वित्तीय मूल्यांकन = 86)

3.3.2 अन्य निविदाकार जैसे (L2, L3) और अन्य के वित्तीय मूल्यांकन की गणना को इस प्रकार समझा जा सकता है :–

$$\frac{30 \times \text{lowest Value (L1) quoted in percentage}}{\text{Quoted Value in percentage (L2 or L3)}}$$

3.3.3 यदि (a) दर्शित निविदाकार L 2 है और 6 प्रतिशत वित्तीय दर प्रस्तुत करता है तो निम्नानुसार गणना की जावेगी। वित्तीय निविदा में प्राप्त अंक 25 जो इस प्रकार है।

$$\frac{30 \times 5 \text{ (L1 quoted in percentage)}}{6\text{(L2 Quoted Value in percentage)}} = 25$$

इस प्रकार L 2 निविदाकार द्वारा कुल प्राप्त अंक 81 होगा। (तकनीकी मूल्यांकन 56 + वित्तीय मूल्यांकन 25)

3.3.4 वित्तीय और तकनीकी निविदा मूल्यांकन में अंकों की गणना दशमलव के 2 अंकों तक की जावेगी।

3.3.5 तकनीकी एवं वित्तीय मूल्यांकन को जोड़कर तालिका तैयार की जावेगी, जिसमें अधिक अंक प्राप्त करने वाले निविदाकार सफल निविदाकार घोषित किया जावेगा।

3.3.6 यदि उपरोक्त गणना अनुसार अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले एक से अधिक निविदाकार को समान अंक प्राप्त होता है तो तकनीकी मूल्यांकन से प्रस्तुत कार्य की अनुभव में अधिक प्राप्त अंक वाले निविदाकार को सफल निविदाकार घोषित किया जावेगा। (यदि प्राप्त अनुभव भी समान है तो लाटरी के माध्यम से सफल निविदाकार घोषित किया जावेगा)

3.3.7 चयन प्रक्रिया में निविदाकारों का इम्पेनलमेंट किया जावेगा ।

3.3.8 उपरोक्तानुसार चयन प्रक्रिया से चयन समिति द्वारा सफल एवं इम्पेनल निविदाकारों का चयन कर मिशन संचालक, जल जीवन मिशन, छत्तीसगढ़ के समक्ष अनुशंसा सहित प्रस्तुत करेगा।

=0=

4. अमानत राशि (सुरक्षा निधि) –

(4.1) सुरक्षा निधि की राशि रू. 20,00,000/– (बीस लाख मात्र) '' मिशन संचालक जल जीवन मिशन के नाम से बैंक ड्राफ्ट के द्वारा जमा की जा सकती है। प्रस्ताव के साथ, सुरक्षा निधि जमा करने की रसीद संलग्न करना अनिवार्य होगा, जिसके बिना प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जावेगा।

(4.2) **निविदा की नियम व शर्तो के अनुसार** सफल निविदाकार (L1) की सुरक्षा निधि धरोहर राशि के रूप में जमा रखी जावेगी और निविदा अवधि की संतोषजनक ढंग से समाप्ति के बाद वापस की जावेगी। उक्त राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जावेगा। अन्य निविदाकारों की सुरक्षा निधि, सफल निविदाकार (L 1) द्वारा अनुबंध निष्पादित करने के उपरांत वापस कर दी जावेगी।

5. निविदा के अंतर्गत उपलब्ध कराये जाने वाले मानव संसाधन के विभिन्न्न कार्य के अनुसार कर्मियों के वर्ग की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, अनुभव तथ उनको प्रतिमाह शुद्ध देय मासिक पारिश्रमिक राशि के संबंध में कंडिका 7–8 में दिया गया है। प्लेसमेंट एजेन्सी को मिशन संचालक जल जीवन मिशन द्वारा सूचना दिये जाने पर, उक्त अनुसूची में वर्णित शैक्षणिक अर्हता तथा अनुभव रखने वाले मानव संसाधन, सूचना प्राप्त होने के 48 घंटों के भीतर उपलब्ध कराना होगा। कर्मियों की संख्या में कमी या बढ़ोत्तरी मिशन संचालक जल जीवन मिशन द्वारा समय–समय पर की जा सकेगी। प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले सभी कर्मी प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा नियोजित होंगे तथा कर्मियों एवं मिशन संचालन जल जीवन मिशन के मध्य सेवक–नियोजक का संबंध नहीं रहेगा। यदि कोई कर्मी उपयुक्त नहीं पाया जाता है या वह अनुशासनहीन होना पाया जाता है तो सूचना प्राप्त होने पर प्लेसमेंट एजेन्सी द्वारा उसे तत्काल वापस लेना होगा तथा मिशन संचालक के निर्देशों पर उसके बदले अन्य कर्मी भेजना होगा। कर्मियों की शैक्षणिक योग्यता, अनुभव तथा मेडिकल फिटनेस, पुलिस वेरिफिकेशन, चरित्र सत्यापन आदि के अनुसार उपयुक्तता का उत्तरदायित्व प्लेसमेंट एजेंसी पर होगा।

6. निविदा की स्वीकृति का पत्र जारी होने के 15 दिनों के भीतर सफल निविदाकार को रू. 100/– मात्र के नॉन–ज्यूडिसियल स्टाम्प में अनुबंध करना होगा। निविदा के अंतर्गत अनुबंध की अवधि कार्यादेश से एक वर्ष की होगी जिसे कार्य संतोषजनक पाये जाने पर अधिकतम दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा। प्लेसमेंट एजेंसी का कार्य संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर 07 दिनों की सूचना देकर समाधान कारक उत्तर नहीं मिलने पर उनका अनुबंध मिशन संचालक, जल जीवन मिशन द्वारा समाप्त किया जा सकेगा।

7. प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा मानव संसाधन कर्मियों को भुगतान –

7.1 विभिन्न श्रेणी के मानव संसाधन को निम्नानुसार पारिश्रमिक का भुगतान प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा प्रतिमाह किया जावेगा –**(राज्य स्तरीय)**

राज्य स्तरीय

क्र.	मानव संसाधन (पद नाम)	पद संख्या	वेतन लेवल	संविदा मासिक वेतन (वित्त विभाग छ.ग. भाासन के निर्देश के आधार पर) की राशि रू. में	05 वर्श के कार्यानुभव के आधार पर मासिक भुगतान की राशि (प्रत्येक वर्श के कार्य अनुभव पर 03 प्रतिशत की वृद्धि के आधार पर गणना)	वार्षिक आधार पर भुगतान की राशि	रिमार्क
1.	तकनीकी प्रयोजन के लिए परियोजना प्रबंधक	01	09	27740	32158	385899	
2.	निगरानी प्रयोजन के लिए परियोजना प्रबंधक	01	09	27740	32158	385899	
3.	कार्यान्वयन सहायता एजेंसियों (आई.एस.ए.) के लिए समन्वयक	01	09	27740	32158	385899	
4.	सूचना, शिक्षा और संचार (आई.ई.सी.) समन्वयक	01	09	27740	32158	385899	
5.	क्षमता संवर्धन और प्रशिक्षण समन्वयक	01	09	27740	32158	385899	
6.	एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आई.एम.आई. एस.) हेतु समन्वयक	01	09	27740	32158	385899	
7.	जल गुणवत्ता निगरानी और चौकसी (डब्ल्यू.क्यू. एम.एण्ड.एस.) समन्वयक	01	09	27740	32158	385899	
8.	हाइड्रो–जियोलॉजिस्ट	01	09	27740	32158	385899	
9.	डाटा एण्ट्री ऑपरेटर एवं कार्यालय सहायक	08	04	113600	117008	1404096	1 डाटा एण्ट्री ऑपरेटर का 14626 प्रतिमाह की दर से
	कुल	**16**		**335520**	**374272**	**4491288**	

(जिला स्तरीय)

क्र.	मानव संसाधन (पद नाम)	पद संख्या	वेतन लेवल	संविदा मासिक वेतन (वित्त विभाग छ.ग. भासन के निर्देश के आधार पर) की राशि रू. में	कार्यानुभव के आधार पर मासिक भुगतान की राशि (प्रत्येक वर्श के कार्य अनुभव पर 03 प्रति ात की वृद्धि के आधार पर गणना रूाशि रू. में)	वार्षिक आधार पर भुगतान की जाने वाली राशि रू. में	रिमार्क
1.	तकनीकी प्रयोजन के लिए परियोजना समन्वयक	01	08	25780	29890	358680	05 वर्ष का कार्यानुभव
2	वित्तीय प्रयोजन के लिए परियोजना समन्वयक	01	08	27740	29890	358680	05 वर्ष का कार्यानुभव
3.	निगरानी प्रयोजन के लिए परियोजना समन्वयक	01	08	27740	29890	358680	05 वर्ष का कार्यानुभव
4.	कार्यान्वयन सहायता एजेंसियों (आई.एस.ए.) के लिए समन्वयक	01	08	27740	28170	338040	03 वर्ष का कार्यानुभव
5.	सूचना, शिक्षा और संचार (आई.ई.सी.) समन्वयक	01	08	27740	28170	338040	03 वर्ष का कार्यानुभव
6.	क्षमता संवर्धन और प्रशिक्षण समन्वयक	01	08	27740	28170	338040	03 वर्ष का कार्यानुभव
7.	एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आई.एम.आई.एस.) हेतु समन्वयक	01	08	27740	28170	338040	03 वर्ष का कार्यानुभव
8.	जल गुणवत्ता निगरानी और चौकसी (डब्ल्यू.क्यू. एम.एण्ड.एस.) समन्वयक	01	08	27740	28170	338040	03 वर्ष का कार्यानुभव
9	डाटा एण्ट्री ऑपरेटर	08	04	113600	117008	1404096	01 वर्ष का कार्यानुभव
	कुल	**16**		**333560**	**347528**	**4170336**	
	महायोग 28 जिलों के	**448**		**9339680**	**9730784**	**116769408**	

स.क्र.	पदों का विवरण	राशि
1	राज्य स्तरीय पदों पर संभावित वार्षिक व्यय	**4491288.00**
2	जिला स्तरीय पदों पर संभावित वार्षिक व्यय	**116769408.00**
	कुल संभावित व्यय	**121260696.00**
	10 प्रतिशत सेवा शुल्क (अधिकतम)	**12126069.00**
	18 प्रतिशत जी.एस.टी.(केवल सेवा शुल्क पर)	**255128.00**
	महायोग	**133641893.00**

कुल (रू. तेरह करोड़ छत्तीस लाख इकचालीस हजार आठ सौ तिरान्बेमात्र) प्रतिवर्ष

उक्त मानव संसाधन पदों को कम करने या उसमें वृद्धि करने या कोई अन्य मानव संसाधन पद आवश्यकता होने पर मिशन संचालक, जल जीवन मिशन के आदेशों/निर्देशों का पालन सफल निविदाकर्ता को करना होगा।

7.2 उपरोक्त राशि में से एम्पलाईज प्रोविडेन्ट फंड एवं ईएसआईसी की राशि नियमानुसार कटौती की जावेगी। उसके अतिरिक्त और कोई राशि कटौती नहीं की जावेगी। पावती प्लेसमेंट एजेन्सी द्वारा दी जावेगी।

7.3 समय–समय पर मिशन संचालक द्वारा अथवा उनकी स्वीकृति से दिये गये निर्देशों का पालन सफल निविदाकर्ता को करना होगा।

8. मानव संसाधन की न्यूनतम अर्हता निम्नांकित होगी –

(राज्य स्तरीय)

8.1 परियोजना प्रबंधक (तक.) :–

8.1.1 शैक्षणिक अर्हताः– शासन से मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से न्यूनतम बी.ई. (सि.)/बी.टेक(सि.) उत्तीर्ण।

8.1.2 अनुभवः– 05 वर्ष कापेयजल प्रदाय एवं स्वच्छता संबंधी कार्यों का अनुभव तथा कम्प्यूटर में कार्य करने का अनुभव होना आवश्यक है।

8.1.3 कार्यः– मिशन संचालक, जल जीवन मिशन के नियंत्रण में कार्य करेंगे।

8.2 परियोजना प्रबंधक (आई.एस.ए.) :–

8.2.1 शैक्षणिक अर्हताः– शासन से मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से न्यूनतम एमबीए–एचआर/मास मिडिया में उत्तीर्ण।

8.2.2 अनुभवः– प्रिन्ट/सोसल/मास/न्यूज/रिमान्डर आदि –मिडिया, एवं राज्य/जिला/ग्राम स्तर पर पेयजल प्रदाय एवं स्वच्छता संबंधी कार्य कम से कम 05 वर्ष का अनुभव तथा कम्प्यूटर में कार्य करने का अनुभव होना आवश्यक है।

8.2.3 कार्यः– मिशन संचालक, जल जीवन मिशन के नियंत्रण में कार्य करेंगे।

8.3 समन्वयक (आई.एस.ए.) :–

8.3.1 शैक्षणिक अर्हताः– शासन से मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से न्यूनतम एमबीए–एचआर/मास मिडिया में उत्तीर्ण।

8.3.2 अनुभवः– प्रिन्ट/सोसल/मास/न्यूज/रिमान्डर आदि –मिडिया, एवं राज्य/जिला/ग्राम स्तर पर पेयजल प्रदाय एवं स्वच्छता संबंधी कार्य का कम से कम 05 वर्ष का अनुभव तथा कम्प्यूटर में कार्य करने का अनुभव होना आवश्यक है।

8.3.3 कार्यः– मिशन संचालक, जल जीवन मिशन के नियंत्रण में कार्य करेंगे।

8.4 समन्वयक (आई.ई.सी..) :–

8.4.1 शैक्षणिक अर्हताः– शासन से मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से न्यूनतम एमबीए–एचआर/मास मिडिया में उत्तीर्ण।

8.4.2 अनुभवः– प्रिन्ट/सोसल/मास/न्यूज/रिमान्डर आदि –मिडिया, एवं राज्य/जिला/ग्राम स्तर पर पेयजल प्रदाय एवं स्वच्छता संबंधी कार्य का कम से कम 05 वर्ष का अनुभव तथा कम्प्यूटर में कार्य करने का अनुभव होना आवश्यक है।

8.4.3 कार्यः– मिशन संचालक, जल जीवन मिशन के नियंत्रण में कार्य करेंगे।

8.5 समन्वयक (क्षमता विकास एवं प्रशिक्षण) :–

8.5.1 शैक्षणिक अर्हताः– शासन से मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से न्यूनतम एमबीए–एचआर/मास मिडिया में उत्तीर्ण।

8.5.2 अनुभवः– प्रिन्ट/सोसल/मास/न्यूज/रिमान्डर आदि –मिडिया, एवं राज्य/जिला /ग्राम स्तर पर पेयजल प्रदाय एवं स्वच्छता संबंधी कार्य का कम से कम 05 वर्ष का अनुभव तथा कम्प्यूटर में कार्य करने का अनुभव होना आवश्यक है।

8.5.3 कार्यः– मिशन संचालक, जल जीवन मिशन के नियंत्रण में कार्य करेंगे।

8.6 समन्वयक (एम.आई.एस.) :–

8.6.1 शैक्षणिक अर्हताः– शासन से मान्यता प्राप्त संस्था/ विश्वविद्यालय से न्यूनतम एम.सी.ए. /एम.एस.सी. आई.टी./बी.ई./बी.टेक. कम्प्यूटर सांईन्स/आईटी में उत्तीर्ण एवं आटोकेड डिजाईन प्रमाण पत्र।

8.6.2 अनुभवः– कम्प्यूटर हार्ड वेयर एवं साफ्ट वेयर में पूर्ण जानकारी, जीआईएस, स्केडा, आईटी टुल्स एवं एप्लीकेशन्स आदि में कोडिन्ग एवं साफ्टवेयर विकास, सिक्युरिटी आडिट इत्यादि में कम से कम 05 वर्ष का अनुभव तथा कम्प्यूटर में कार्य करने का अनुभव होना आवश्यक है।

8.6.3 कार्यः– मिशन संचालक, जल जीवन मिशन के नियंत्रण में कार्य करेंगे।

8.7 <u>समन्वयक (डब्ल्यूक्यूएमएस) :–</u>

8.7.1 **शैक्षणिक अर्हताः–** शासन से मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से केमिस्ट्री में न्यूनतम एम.एस.सी. उत्तीर्ण।

8.7.2 **अनुभवः–** जल गुणवत्ता प्रयोगशाला में जल नमूने परीक्षण, प्रयोगशालाओं को एनएबीएल बनाने आदि में कम से कम 05 वर्ष का अनुभव तथा कम्प्यूटर में कार्य करने का अनुभव होना आवश्यक है।

8.7.3 **कार्यः–** मिशन संचालक, जल जीवन मिशन के नियंत्रण में कार्य करेंगे।

8.8 <u>हाइड्रोजियोलॉजिस्ट :–</u>

8.8.1 **शैक्षणिक अर्हताः–** शासन से मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से न्यूनतम हाइड्रोजियोलाजी/जियोलॉजी में स्नातकोत्तर डिग्री एवं एनआरएसए से प्रशिक्षण प्राप्त।

8.8.2 **अनुभवः–** पेयजल स्त्रोत के चिन्हांकन की वैज्ञानिक पद्धति, एनआरएसए के एचजीएम मैप्स, भू–भौतिकी उपकरण से भू–गर्भिय स्त्रोत का चिन्हांकन, यील्ड टेस्ट, एक्यूफर मेपिंग, एक्यूफर स्टोरेटेविटी एवं ट्रांसमिसिविटी, जियामार्फोलॉजी का छ.ग. के संदर्भ में कम से कम 05 वर्ष का अनुभव तथा कम्प्यूटर में कार्य करने का अनुभव होना आवश्यक है।

8.8.3 **कार्यः–** मिशन संचालक, जल जीवन मिशन के नियंत्रण में कार्य करेंगे।

8.9 <u>डाटा एन्ट्री ऑपरेटर :–</u>

8.9.1 **शैक्षणिक अर्हताः–** शासन से मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से न्यूनतम डीसीए/पीजीडीसीए प्रमाण पत्र प्राप्त एवं 8000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिधण्टा का प्रमाण पत्र।

8.9.2 **अनुभवः–** किसी संस्था में कार्य का कम से कम 01 वर्ष का अनुभव।

8.9.3 **कार्यः–** मिशन संचालक, जल जीवन मिशन के नियंत्रण में टायपिंग, प्रारूप बनाने, संक्षेपिका बनाने, फाइंलिंग एवं नस्ती संधारण तथा रखरखाव इत्यादि से संबंधित सौपे गये समस्त कार्य।

(जिला स्तरीय)

8.10 परियोजना समन्वयकः–

8.10.1 शैक्षणिक अर्हताः– शासन से मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से न्यूनतम बी.ई/बी.टेक (सिविल/वि.यां.) ।

8.10.2 अनुभवः– पेयजल प्रदाय एवं स्वच्छता से संबंधित कार्यों में तकनीकी व लेखा/आडिट का कम से कम 05 वर्ष का अनुभव तथा कम्प्यूटर में कार्य करने का अनुभव होना आवश्यक है।

8.10.3 कार्यः– जिला जल एवं स्वच्छता समिति जलजीवन मिशन के नियंत्रण में परियोजना अंतर्गत तकनीकी एवं अनुश्रवण संबंधी सौपे गये समस्त कार्य।

8.11 परियोजना समन्वयक तकनीकीः–

8.11.1 शैक्षणिक अर्हताः– शासन से मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से न्यूनतम बी.ई/बी.टेक (सिविल/वि.यां.) एवं आटोकेट डिजाइन प्रमाण पत्र।

8.11.2 अनुभवः– पेयजल प्रदाय एवं स्वच्छता से संबंधित कार्यों में तकनीकी कार्य का कम से कम 05 वर्ष का अनुभव तथा कम्प्यूटर में कार्य करने का अनुभव होना आवश्यक है।

8.11.3 कार्यः– जिला जल एवं स्वच्छता समिति जलजीवन मिशन के नियंत्रण में परियोजना अंतर्गत तकनीकी एवं अनुश्रवण संबंधी सौपे गये समस्त कार्य।

8.12 परियोजना समन्वयक वित्तीयः–

8.12.1 शैक्षणिक अर्हताः– शासन से मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से न्यूनतम सी.ए./आई. सी.डब्ल्यू.ए./एम.बी.ए. वित्त उत्तीर्ण।

8.12.2 अनुभवः– पेयजल प्रदाय एवं स्वच्छता से संबंधित कार्यों में लेखा/आडिट का कम से कम 05 वर्ष का अनुभव तथा कम्प्यूटर में कार्य करने का अनुभव होना आवश्यक है।

8.12.3 कार्यः– जिला जल एवं स्वच्छता समिति जलजीवन मिशन के नियंत्रण में परियोजना अंतर्गत तकनीकी एवं अनुश्रवण संबंधी सौपे गये समस्त कार्य।

8.13 परियोजना समन्वयक अनुश्रवणः–

8.13.1 शैक्षणिक अर्हताः– शासन से मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से न्यूनतम बी.ई/बी.टेक (सिविल/वि.यां.) एवं एम.बी.ए. उत्तीर्ण।

8.13.2 अनुभवः– पेयजल प्रदाय एवं स्वच्छता से संबंधित कार्यों में अनुश्रवण के कार्य का कम से कम 03 वर्ष का अनुभव तथा कम्प्यूटर में कार्य करने का अनुभव होना आवश्यक है।

8.13.3 कार्यः– जिला जल एवं स्वच्छता समिति जलजीवन मिशन के नियंत्रण में परियोजना अंतर्गत तकनीकी एवं अनुश्रवण संबंधी सौपे गये समस्त कार्य।

8.14 समन्वयक (आई.एस.ए.) :–

8.14.1 शैक्षणिक अर्हताः– शासन से मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से न्यूनतम एमबीए–एचआर/मास मिडिया में उत्तीर्ण।

8.14.2 अनुभवः– प्रिन्ट/सोसल/मास/न्यूज/रिमान्डर आदि –मिडिया, एवं राज्य/जिला/ग्राम स्तर पर पेयजल प्रदाय एवं स्वच्छता संबंधी कार्य का कम से कम 03 वर्ष का अनुभव तथा कम्प्यूटर में कार्य करने का अनुभव होना आवश्यक है।

8.14.3 कार्यः– जिला जल एवं स्वच्छता समिति जलजीवन मिशन के नियंत्रण में परियोजना अंतर्गत आई.एस.ए. से संबंधित सौपे गये समस्त कार्य।

8.15 समन्वयक (आई.ई.सी..) :–

8.15.1 शैक्षणिक अर्हताः– शासन से मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से न्यूनतम एमबीए–एचआर/मास मिडिया में उत्तीर्ण।

8.15.2 अनुभवः– प्रिन्ट/सोसल/मास/न्यूज/रिमान्डर आदि –मिडिया, एवं राज्य/जिला /ग्राम स्तर पर पेयजल प्रदाय एवं स्वच्छता संबंधी कार्य का कम से कम 03 वर्ष का अनुभव तथा कम्प्यूटर में कार्य करने का अनुभव होना आवश्यक है।

8.15.3 कार्यः– जिला जल एवं स्वच्छता समिति जलजीवन मिशन के नियंत्रण में आईईसी से संबंधित सौपे गये समस्त कार्य।

8.16 समन्वयक (क्षमता विकास एवं प्रशिक्षण) :–

8.16.1 शैक्षणिक अर्हताः– शासन से मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से न्यूनतम एमबीए–एचआर/मास मिडिया में उत्तीर्ण।

8.16.2 अनुभवः– प्रिन्ट/सोसल/मास/न्यूज/रिमान्डर आदि –मिडिया, एवं राज्य/जिला /ग्राम स्तर पर पेयजल प्रदाय एवं स्वच्छता संबंधी कार्य का कम से कम 03 वर्ष का अनुभव तथा कम्प्यूटर में कार्य करने का अनुभव होना आवश्यक है।

8.16.3 कार्यः– जिला जल एवं स्वच्छता समिति जलजीवन मिशन के नियंत्रण में एचआर से संबंधित सौपे गये समस्त कार्य।

8.17 समन्वयक (एम.आई.एस.) :–

8.17.1 शैक्षणिक अर्हताः– शासन से मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से न्यूनतम एम.सी.ए./बी.ई./बी.टेक. कम्प्यूटर सांईन्स/आईटी में स्नातक डिग्री उत्तीर्ण एवं आटोकेड डिजाईन प्रमाण पत्र।

8.17.2 अनुभवः– कम्प्यूटर हार्ड वेयर एवं साफ्ट वेयर में पूर्ण जानकारी, जीआईएस, स्केडा, आईटी टुल्स एवं एप्लीकेशन्स आदि में कोडिन्ग एवं साफ्टवेयर विकास, सिक्युरिटी आडिट इत्यादि में कम से कम 03 वर्ष का अनुभव।

8.17.3 कार्यः– जिला जल एवं स्वच्छता समिति जलजीवन मिशन के नियंत्रण में नियंत्रण में एमआईएस से संबंधित सौपे गये समस्त कार्य।

8.18 समन्वयक (डब्ल्यूक्यूएमएस) :–

8.18.1 शैक्षणिक अर्हताः– शासन से मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से न्यूनतम केमिस्ट्री में एम.एस.सी. उत्तीर्ण।

8.18.2 अनुभवः– किसी जल गुणवत्ता प्रयोगशाला में जल नमूने परीक्षण, प्रयोगशालाओं को एनएबीएल बनाने आदि में कम से कम 03 वर्ष का अनुभव तथा कम्प्यूटर में कार्य करने का अनुभव होना आवश्यक है।

8.18.3 कार्यः– जिला जल एवं स्वच्छता समिति जलजीवन मिशन के नियंत्रण में जल गुणवत्ता, निगरानी एवं अनुश्रवण से संबंधित सौपे गये समस्त कार्य।

8.19 डाटा एन्ट्री ऑपरेटर एवं कार्यालय सहायक :–

8.19.1 शैक्षणिक अर्हताः– शासन से मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से न्यूनतम डीसीए प्रमाण पत्र प्राप्त एवं 8000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघण्टा का प्रमाण पत्र।

8.19.2 अनुभवः– किसी संस्था में कार्य का कम से कम 01 वर्ष का अनुभव।

8.19.3 कार्यः– जिला जल एवं स्वच्छता समिति जलजीवन मिशन के नियंत्रण में टायपिंग, प्रारूप बनाने, संक्षेपिका बनाने, फाइंलिंग एवं नस्ती संधारण तथा रखरखाव इत्यादि से संबंधित सौपे गये समस्त कार्य।

मानव संसाधन की न्यूनतम आर्हता का निर्धारण मिशन संचालक जल जीवन मिशन, छत्तीसगढ़ से सफल निविदाकर्ता द्वारा कराया जाना आवश्यक है।

9. प्रस्ताव जमा करने की विधि –

9.1 निविदा के तकनीकी प्रस्ताव में मूल निविदा प्रपत्र (अनुसूची– दो को छोड़कर) पात्रता हेतु न्यूनतम मापदण्ड के समर्थन में समस्त दस्तावेजों की पठनीय सत्यापित छायाप्रति तथा अमानत राशि हेतु बैंक ड्राफ्ट सील बंद प्रस्तुत करना होगा, इस लिफाफे पर तकनीकी प्रस्ताव तथा प्रस्तुतकर्ता का पूर्ण नाम एवं पता व दूरभाष, मोबाईल नंबर एवं ई–मेल अंकित किया जावे।

9.2 वित्तीय प्रस्ताव के लिफाफे में अनुसूची दो (दर प्रपत्र) सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत किया जावे। इस लिफाफे पर वित्तीय प्रस्ताव अंकित पर प्रस्तुतकर्ता का पूर्ण नाम एवं पता व दूरभाष, मोबाईल नबंर एवं ई–मेल अवश्य लिखें।

9.3 उपरोक्त तकनीकी प्रस्ताव के एक लिफाफे एवं वित्तीय प्रस्ताव के एक लिफाफे को अन्य बड़े साईज के सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस लिफाफे पर स्पष्ट रूप से मानव संसाधन की सेवाओं हेतु निविदा प्रपत्र अंकित कर प्रस्तुतकर्ता का पूर्ण नाम एवं पता व दूरभाष, मोबाईल नबंर एवं ई–मेल अवश्य लिखें।

9.4 प्रस्ताव जमा किये जाने की अंतिम तिथि 16.08.2021 अपरान्ह 05:00 बजे होगी। इसके बाद प्राप्त होने वाले निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा एवं निविदा मूलतः वापस कर दी जावेगी।

9.5 निविदाकारों का तकनीकी प्रस्ताव के अभिलेख सही पाये जाने एवं निविदाकर्ता तकनीकी रूप से सक्षम पाये जाने पर ही उनके वित्तीय प्रस्ताव का लिफाफा खोला जायेगा।

9.6 क्रय किये गये निविदा की मूल्य का रसीद रूपये 5000/– का डीडी तकनीकी जमा करने वाले लिफाफे के साथ ही संलग्न करें अन्यथा प्राप्त निविदा खारिज की जावेगी।

9.7 **वित्तीय निविदा में किसी भी प्रकार के कांट/छांट ओवर राईटिंग होने पर निविदा अस्वीकार किया जावेगा।**

9.8 वित्तीय निविदा में निविदाकर्ता की सेवा शुल्क दर 5 प्रतिशत से कम स्वीकार नहीं की जावेगी।

9.9 यदि निविदाकार द्वारा वित्तीय निविदा में सेवा शुल्क 5 प्रतिशत से कम प्रस्तुत किया जाता है तो उसका निविदा अमान्य घोषित कर दिया जावेगा।

10. कार्य का प्रकार एवं विवरण –

(10.1) कार्यालयीन कार्य

सफल निविदाकर्ता द्वारा उनके किसी भी कार्यालयीन कर्मी की अवकाश एवं बीमारी की स्थिति में एजेन्सी को तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगा।

11. **निविदा में संशोधन :– निविदा प्रकाशन के उपरांत निविदा में होने वाले किसी प्रकार का संशोधन के संबंध में जानकारी विभागीय वेबसाईट** http://phed.cg.gov.in**में देखा जा सकता है। इसका प्रकाशन समाचार पत्रों में नहीं किया जावेगा।**

12. अन्य शर्ते –

i. प्लेसमेंट एजेन्सी द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, एम्पलाईज प्रोविडेंट फंड तथा अन्य सभी प्रचलित संबंधित शासकीय नियमों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। विभिन्न नियमों का पालन करने तथा निर्धारित राशि जमा करने का उत्तरदायित्व प्लेसमेंट एजेन्सी का होगा।

ii. नियोजित कर्मियों के मामले में संबंधित विभागों में जमा की गई राशि की रसीद की छायाप्रति प्रत्येक तीन माह में मिशन संचालक, जल जीवन मिशन, रायपुर को प्रस्तुत करना होगा, उसके परीक्षण उपरांत सही पाये जाने पर ही अगला भुगतान किया जायेगा।

iii. प्लेसमेंट एजेंसी श्रम कानूनों का पालन करने के लिये स्वयं जवाबदार रहेगी एवं आवश्यक पंजीयन संबंधित विभाग से प्राप्त करेगी एवं प्रमाण पत्र कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

4. प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा मानव संसाधन उपलब्ध कराते समय सभी संबंधित कर्मचारियों को नियुक्ति आदेशमय परिचय पत्र मिशन संचालक, जल जीवन मिशन को उपलब्ध कराया जावेगा।

5. प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा भृत्य एवं वाहन चालक को मिशन द्वारा निर्धारित ड्रेस (यूनीफार्म) उपलब्ध कराना होगा जिससे व्यय पर मिशन द्वारा किसी प्रकार राशि नहीं दिया जावेगा।

6. विशेष परिस्थितियों में प्लेसमेंट एजेंसी के द्वारा मिशन में नियोजित कर्मचारियों का आपसी स्थानांतरण किया जा सकता है जो कि मिशन संचालक, जल जीवन मिशन, रायपुर के अनुमोदन से या उनके निर्देशों से होगा।

7. प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा नियोजित कर्मचारियों को मिशन संचालक जल जीवन मिशन द्वारा निर्धारित नियमानुसार अवकाश की पात्रता होगी।

8. नियोजित कर्मियों को उपरोक्त कंडिका 7.1 में वर्णित पारिश्रमिक वेतन राशि का भुगतान प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा किया जावेगा। मिशन संचालक, जल जीवन मिशन द्वारा प्लेसमेंट एजेंसी को एक मुश्त शुद्ध देय राशि के अलावा अन्य स्वीकृत वैधानित राशि तथा सुपरविजन एण्ड मैनेजमेंट चार्जेस का मासिक भुगतान माह समाप्ति पर देयक प्रस्तुत किये जाने के उपरांत प्लेसमेंट एजेंसी को किया जावेगा। नियमानुसार स्त्रोत पर आयकर व जी.एस.टी. व अन्य वैधानिक कटौतियां की जावेगी।

9. प्रत्येक कर्मचारी का कार्य 8 घंटे होगा तथा मिशन संचालक, जल जीवन मिशन अथवा उनके अधिनस्थ अधिकारी के निर्देशानुसार कार्य का समय निर्धारण किया जा सकेगा।

10. संस्था द्वारा निविदा प्रपत्र में दर्शित अर्हता के अनुरूप मिशन संचालक, जल जीवन मिशन की सहमति के उपरांत ही उपलब्ध कराया जा सकेगा

11. कार्यालयीन समय में सफल निविदाकर्ता का कोई भी कर्मचारी बिना मिशन संचालक, जल जीवन मिशन अथवा उनके अधिनस्थ अधिकारी की अनुमति से कार्य से अनुपस्थित नहीं रहेगा।

12. कार्य के दौरान प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा संतोषप्रद सेवायें प्रदान न करने की स्थिति में मिशन संचालक जल जीवन मिशन, रायपुर एक सप्ताह के लिखित नोटिस के उपरांत उत्तर संतोषप्रद न पाये जाने पर अनुबंध निरस्त कर सकेगा।

13. निविदाकर्ता का कर्मचारी कार्यालय में ऐसा कोई कार्य नहीं करेगें, जिसमें कार्यालयीन अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आपत्ति हो। यदि आवश्यक हुआ तो मिशन संचालक, जल जीवन मिशन के कहने पर प्लेसमेंट एजेंसी को खराब आचरण करने वाले उनके कर्मी को तत्काल बदलना होगा।
14. सफल निविदाकर्ता के कर्मचारियों की संख्या में परिवर्तन मिशन संचालक, जल जीवन मिशन के आदेश से किया जा सकेगा।
15. दरें संलग्न निर्धारित प्रपत्र में ही प्रस्तुत करें।
16. बुलाई गई निविदा को किसी भी समय सक्षम अधिकारी द्वारा बिना कारण बताये निरस्त किया जा सकेगा।
17. निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ तथा संलग्न किए गए प्रत्येक दस्तावेज पर निविदाकार का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।
18. प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले मानव संसाधन के ऊपर किसी भी प्रकार अपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं होना चाहिए।
19. प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले मानव संसाधन के लिये न्यूनतम आयु एवं अधिकतम आयु की गणना छ.ग. भाासन, सामान्य प्र ाासन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार की जावेगी।
20. बिना किसी कारण बताये निविदा को पूर्णतः/ अंशतः स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने एवं निविदा की किसी भी शर्त को शिथिल करने का पूर्ण अधिकार मिशन संचालक जल जीवन मिशन, छत्तीसगढ़ को होगा और उनके निर्णय निविदाकार के लिये अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
21. सभी स्थितियों में शब्दों की परिभाषाओं संबंधी मिशन संचालक का निर्णय निविदाकार के लिये अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
22. निविदा में उपस्थित होने वाले संस्था के प्रतिनिधि को संबंधित निविदाकर्ता संस्थान के द्वारा अधिकृत प्रमाण पत्र जारी करना होगा।
23. निविदा खोले जाने के पश्चात एल 1 फर्म को अधिकतम 6 माह के भीतर कार्यादेश प्रदाय किया जावेगा अन्यथा निविदा निरस्त मानी जावेगीं
24. यदि निविदाकार किसी तरीके से तकनीकी मूल्यांकन प्रक्रिया में गैरकानूनी/ भ्रष्ट/ धोखाधड़ी करते हुए पाया जाता है तो उनकी निविदा अपात्र माना जावेगा।
25. यदि फर्जी दस्तावेज से निविदा हासिल कर लेता है तो भविष्य में साक्ष्य सहित जानकारी प्राप्त होने पर मिशन संचालक निरस्त कर सकेगा।
26. निविदा प्रपत्र में दी गई जानकारी निविदाकार द्वारा सुस्पष्ट होना चाहिए, किसी प्रकार का ओव्हर राईटिंग नहीं किया गया हो। किसी भी प्रकार के सुधार, संशोधन, किए जाने पर शब्दों/अंकों में लिखकर अभिप्रमाणित नहीं होने पर निविदा स्वीकार नहीं किया जावेगा।
27. किसी प्रकार की विवाद होने पर रायपुर क्षेत्र के अंतर्गत माननीय न्यायालय मे ही वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा।
28. किसी भी विवाद की स्थिति में मिशन संचालक, जल जीवन मिशन का निर्णय अंतिम होगा।
29. संस्था/फर्म का छत्तीसगढ़ राज्य में कम से कम एक कार्यालय होना अनिवार्य है।

मिशन संचालक
जल जीवन मिशन,
नीरभवन, सिविल लाईन्स,
रायपुर छ.ग.

अनुसूची– एक

//तकनीकी निविदा प्रपत्र//

क्र.	विवरण	
1	**संस्था का नाम**	
2.	**संस्था के नियोजक/प्रबंधक/पार्टनर के नाम**	
3.	**संस्था का पंजीकृत कार्यालय का पूर्ण पता**	
	अ :– दूरभाष नंबर	
	ब :– फैक्स नंबर	
	स :– ई–मेल	
4.	**संस्था का प्रकार (पंजीकृत संस्थान, पंजीकृत सांझेदारी फर्म, एकल स्वामित्व)**	
5.	संविदा श्रमिक अधिनियम 1970 के अंतर्गत फर्म/संस्था का जीवित पंजीयन अथवा अनुज्ञप्ति 100 कर्मचारियों का (प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें)	अनुज्ञप्ति में कर्मचारियों की संख्या
6.	संस्था का पैन नंबर (प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें)	
7.	संस्था का जी.एस.टी. नंबर (प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें)	
8.	संस्था का ईपीएफ पंजीयन क्रमांक (प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें)	
9.	संस्था का ईएसआई क्रमांक (प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें)	
10.	संस्था/फर्म द्वारा राज्य के शासकीय/अर्द्धशासकीय/निगम/मंडल में कार्यालयों के समान प्रकृति के कार्य में मानव संसाधन उपलब्ध कराने का कम से कम 5 कार्यालयों का अनुभव	कार्यालय का नाम :– 1. 2. 3. 4. 5.
11.	संस्था द्वारा राज्य के शासकीय एवं अर्द्धशासकीय विभागों में पिछले 3 वित्तीय वर्षो में कम से कम 100 मानव संसाधन आपूर्तित किये गये हो का आदेश एवं अनुभव प्रमाण पत्र या अन्य कोई दस्तावेज जिससे मानव संसाधन आपूर्ति किये जाने का प्रमाण हो।	(अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें)
12.	संस्था/फर्म का पिछले 3 वित्तीय वषोर्क का सीए द्वारा प्रमाणित आडिटेड वार्षिक बैलेंस शीट की प्रति।	वर्ष / राशि रूपये करोड़ में
	एवं सी.ए. सर्टिफिकेट	2018–19 2019–20 2020–21 औसत राशि

13.	फर्म/संस्था का छत्तीसगढ़ दुकान स्थापना अधिनियम 1958 के अंतर्गत जीवित पंजीयन हो। संस्था/फर्म का छत्तीसगढ़ राज्य में कम से कम एक कार्यालय होना आवश्यक है।	
14.	एक कार्यादेश के अंतर्गत छ0ग0 राज्य में कम से कम दो जिलों में मानव संसाधन उपलब्ध कराये जाने का अनुभव। कार्यादेश की प्रति संलग्न करें	
15.	संस्था द्वारा ईपीएफ का चालान पिछले एक वर्ष का संलग्न करें	
16	संस्था द्वारा ईएसआईसी का चालान पिछले एक वर्ष का संलग्न करें	

घोषणा

निविदा क्रमांक. ..... दिनांक ..... में उल्लेखित/निर्दिष्ट सभी नियम एवं शर्ते मान्य है तथा मेरे द्वारा दी गई समस्त जानकारी पूर्ण रूप से सत्य है। किसी भी असत्य जानकारी के लिए मैं/हम पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर एवं सील

अनुसूची–दो

निविदा प्रपत्र का मूल्य रू. 5000/–

कार्यालय मिशनसंचालक
जल जीवन मिशन
नीरभवन–सिविललाईन्स, छत्तीसगढ़, रायपुर

Email:-director-jjm@cg.gov.in

//वित्तीय निविदा प्रपत्र//

निविदाक्रमांक/ /स्था.शा./ज.जी.मि./2021 रायपुर, दिनांक

प्रति,

मिशन संचालक
जल जीवन मिशन
नीर भवन, सिविल लाईन्स, रायपुर

1. निविदाकर्ता संस्था का नाम .....
2. (अ) पंजीकृत कार्यालय .....
..... पिन नं. .....
(ब) निवास का पता .....
(स) ई–मेल आई.डी .....
3. दूरभाष क्रमांक (निवास) ..... कार्यालय .....
मोबाईल नं. .....
4. मानव संसाधन (कर्मचारी) उपलब्ध कराने हेतु मंडल से लिया जाने वाले ''**सेवा शुल्क**''

क्रमांक	विवरण	राशि रू.	रिमार्क
1.	निर्धारित कर्मियों को वेतन द्वारा भुगतान		मिशन संचालक, जल जीवन मिशन द्वारा निर्धारित
2.	जी.एस.टी. शुल्क ..... (प्रतिशत) में एवं शब्दों में लिखे		
3.	सेवा शुल्क ..... (प्रतिशत) में एवं शब्दों में लिखे		
	कुल राशि :–		

(टीप :– 1. निविदाकार द्वारा उपलब्ध कराये गये मानव संसाधन को देय वेतन का भुगतान जल जीवन मिशन द्वारा समय–समय पर निर्धारित दर अनुसार किया जावेगा।)

01. सेवा शुल्क दर पर 5 प्रतिशत से कम स्वीकार नहीं की जावेगी। यदि निविदाकार द्वारा सेवा शुल्क 5 प्रतिशत से कम प्रस्तुत किया जाता है तो उसका निविदा अमान्य घोषित कर दिया जावेगा।

02. निविदाकार द्वारा सेवा शुल्क प्रतिशत प्रस्ताव की गणना मिशन संचालक, जल जीवन मिशन कार्यालय एवं जिला जल एवं स्वच्छता मिशन कार्यालयों द्वारा प्रतिमाह मानव संसाधन पर लगने वाले कुल पारिश्रमिक पर होगा। जी.एस.टी. की गणना सेवा भुल्क की राशि पर की जावेगी। (EPF, ESICको छोड़कर)

03. EPF, ESICका भुगतान नियमानुसार अनुबंधित फर्म द्वारा किया जावेगा।

दिनाक निविदाकर्ता के हस्ताक्षर एवं सील

घोषणा

निविदा क्रमांक. ..... दिनांक ..... में उल्लेखित/निर्दिष्ट सभी नियम एवं शर्ते मान्य है तथा मेरे द्वारा दी गई समस्त जानकारी पूर्ण रूप से सत्य है। किसी भी असत्य जानकारी के लिए मैं/हम पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर एवं सील